

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)  
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा ( आर. ए. एस. )

अनुवान :- रामकुमार बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 149 / 2024

निर्णय दिनांक :- 28/6/24

रामकुमार पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी वास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

- उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि खसरा नं. 743/222 तादादी 0.2276 हैक्टर वाकै रोही वास सारायण पटवार हल्का कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरूकी खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। कृषिभूमि के पड़ोसियान हमेशा सीव बावत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीअपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

5  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर चूरू

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खसरा नं. 743/222 तादादी 0.2276 हैक्टर वाकै रोही वास सारायण पटवार हल्का कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरुकी रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काशत की सुरक्षा के लिए चारों ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीकी भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थी के खसरा नं. 743/222 तादादी 0.2276 हैक्टर वाकै रोही वास सारायण पटवार हल्का कोहिणा तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्ह का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)  
तारानगर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 20/6/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)  
तारानगर (चूरु)